08/4/21	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी हाजिर। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजियात में तीनों भाईयों प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 का 1/3-1/3 हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज रिकॉर्ड पिछले सेटलमेन्ट के समय प्रार्थी की उम्र 6 माह थी तब अप्रार्थीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.04.16 16:06:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहलकार जिसके हुक्म की तामील में जारी हुआ
	1 व 2 ने उक्त भूमि अपने नाम करा ली जबकि इसमें प्रार्थी का हक भी निहित था। अतः सेटलमेन्ट के दौरान गलत इन्द्राज होने से वादग्रस्त आराजियात अप्रार्थी सं. 1 व 2 के दर्ज हो गयी जो दुरुस्त करवाने योग्य है। वादग्रस्त आराजियात का तीनों भाईयों के बीच मौखिक बंटवारा हो रखा है तथा उसी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 काबिज काश्त है। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा प्रार्थी का है। इस वादग्रस्त आराजियात से संबंधित एक वाद भी प्रस्तुत कर रखा है जिसके मु० न० 319/2015 रे० वाद है जो इसी न्यायालय में विचाराधीन है। अप्रार्थीगण वाद वर्णित आराजियात को बेचान करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि को खुर्द-बुर्द कर बेचान करने पर आमादा है तथा प्रार्थी का कब्जा हटाना चाहते है अतः मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण को पाबंद करवाया जावे। हमने वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन व मनन किया। जिसके आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजियात मौजा मजरा भानिया खेड़ी प.ह. आकोला के हल्का बेरुनी की आ० न० 240, 247, 307, 308, 343, 431, 448, 449, 456, 569, 570, 597, 627 व 1553 कुल किता 14 कुल रकबा 03.93 हैक्ट० भूमि जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण होने तक कन्फर्म किया जाता है। अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वह प्रा[illegible] से बेदखल ना करे, [illegible] करे ना ही किसी को [illegible]रण या बेचान [illegible]। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08.4.[illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	[signature] 08.4.21	

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.04.16 16:06:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner